



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 25, 2018 (MAGHA 5, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 2018

संख्या 30/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।
- (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, उपनियम (3क) में "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 7 में, सारणी में,—
 - (क) क्रम संख्या 1 में, खाना (3) के नीचे, "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2018 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
 - (ख) क्रम संख्या 2 में, खाना (3) के नीचे, "ढाई प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "राज्य में आवर्त का ढाई प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2018 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे; तथा
 - (ग) क्रम संख्या 3 में, खाना (3) के नीचे, "आधा प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "राज्य में मालों की कराधेय प्रदायों के आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2018 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 20 में, विद्यमान परंतुक का लोप किया जाएगा;

5. उक्त नियमों में, नियम 24 में, उप-नियम (4) में “31 दिसंबर, 2017” अंकों, चिह्न और शब्द के स्थान पर “31 मार्च, 2018” अंक, चिह्न और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 31 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“31.क लॉटरी, बाजी, द्यूत तथा घुड़दौड़ की दशा में प्रदाय का मूल्य.—(1) इस अध्याय के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, नीचे विनिर्दिष्ट प्रदायों के संबंध में मूल्य, इसमें, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में अवधारित किया जाएगा।

(2) (क) राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही लॉटरी की प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित कीमत, जो भी अधिक हो, का 100/112 समझा जाएगा;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत लॉटरी की प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजित करने वाले राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित कीमत, जो भी अधिक हो, का 100/128 समझा जाएगा।

व्याख्या.— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्तियां —

(क) “राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाटरी” से अभिप्राय है, ऐसी आयोजित करने वाले राज्य से भिन्न किसी राज्य में विक्रय के लिए अनुज्ञात नहीं की जाने वाली लॉटरी;

(ख) “राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी” से अभिप्राय है, आयोजित करने वाले राज्य में तथा उस राज्य से भिन्न राज्य/राज्यों में भी विक्रय करने के लिए प्राधिकृत लॉटरी; और

(ग) “आयोजित करने वाले राज्य” का वही अर्थ होगा जो उसे लॉटरी (विनियमन) नियम, 2010 के नियम 2 के उपनियम(1) के खंड (च) में दिया गया है।

(3) बाजी में जीतने के मौके के रूप में द्यूत या दौड़ क्लब में घुड़दौड़ के अनुयोज्य दावे की प्रदाय का मूल्य, बाजी के अंकित मूल्य या टोटलाइजर में भुगतान राशि का सौ प्रतिशत होगा।”;

7. उक्त नियमों में, नियम 43 में, उपनियम (2) के पश्चात्, व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“**व्याख्या.—** नियम 42 और इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्टीकृत किया जाता है कि छूट प्राप्त प्रदायों के संकलित मूल्य में निम्नलिखित अपवर्जित होगा :—

(क) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.क.नि. सं. 1338 (अ), तारिख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 42/2017—एकीकृत कर (दर), तारीख 27/10/2017 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य;

(ख) निक्षेपों को स्वीकारने द्वारा सेवाओं का मूल्य, ऋण या अग्रिम का विस्तार, जहां तक कि प्रतिफल ब्याज या छूट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सिवाय बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था जिसके अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो निक्षेप स्वीकारने, ऋणों या अग्रिमों के विस्तार द्वारा सेवाओं की प्रदाय करने में लगे हुए हैं, भी हैं, के अपवर्जित होंगे; और

(ग) भारत में सीमाशुल्क स्टेशन निकासी से भारत के बाहर किसी स्थान पर जलयान द्वारा माल के परिवहन द्वारा सेवाओं की प्रदाय का मूल्य।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 54 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1अ) (क) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान पैन और राज्य कोड रखता है, वह सामान्य इनपुट सेवा प्रत्यय को इनपुट सेवा वितरक को अंतरित करने के लिए बीजक या यथास्थिति, प्रत्यय या विकलन टिप्पण जारी कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :—

(i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान पैन और राज्य कोड रखता है, का नाम, पता तथा सेवाकर पहचान संख्या;

(ii) सोलह अक्षरों से अनधिक क्रमवर्ती क्रमसंख्या, एक या बहु श्रेणियों में, जिसके अंतर्गत वर्ण या अंक या विशेष अक्षर हाइफन अथवा डैश तथा स्लैश चिह्न जैसे कि क्रमशः, “-” और “/” और वित्तीय वर्ष के लिए कोई विशिष्ट सहयोजन;

(iii) जारी करने की तिथि;

(iv) सामान्य सेवा के आपूर्तिकर्ता का माल और सेवाकर पहचान संख्या तथा मूल बीजक संख्या जिसका प्रत्यय इनपुट सेवा वितरक को अंतरित करना चाहा गया है;

(v) इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता तथा माल और सेवाकर पहचान संख्या;

- (vi) प्रत्यय का कराधेय मूल्य, दर और राशि जो अंतरित की जानी है; और
 (vii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर।

(ख) खंड (क) के अधीन जारी बीजक में कराधेय मूल्य सामान्य सेवाओं के मूल्य के समान होगा।”।

9. उक्त नियमों में, 55 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“55क माल के अंतरण के साथ प्रदाय का कर बीजक या बिल.- वाहन के भार साधक व्यक्ति नियम 46, 46क या 49 के उपबंधों के अनुसार जारी प्रदाय के कर बीजक या बिल की प्रति साथ रखेगा यदि ऐसे व्यक्ति के लिए इन नियमों के अधीन ई-वे बिल साथ में रखना अपेक्षित नहीं है।

10. उक्त नियमों में, नियम 89 में, उपनियम (4क) और उपनियम (4ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 23 अक्टूबर, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :-

“(4क). प्राप्त प्रदायों की दशा में, जिन पर आपूर्तिकर्ता ने हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 115/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 का लाभ प्राप्त किया है, को माल या सेवाओं अथवा दोनों की प्रदाय शून्य-दर बनाने के लिए उपयोग की गई अन्य इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय प्रदान किया जाएगा।

(4ख). प्राप्त प्रदायों की दशा में, जिन पर आपूर्तिकर्ता ने हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 117/एसटी-2, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1321(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017 एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1272(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमा-शुल्क तारीख 13 अक्टूबर, 2017 अथवा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1299(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017- सीमा-शुल्क तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या उन सभी, का लाभ उठाया है को माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचना के अधीन प्राप्त इनपुट के संबंध में उपयोग किए गए इनपुट कर जमा का प्रतिदाय और माल का ऐसा निर्यात करने के लिए उपयोग के विस्तार तक की गई अन्य इनपुट कर जमा प्रदान की जाएगी।”

11. उक्त नियमों में, नियम 96 में -

(क) उपनियम (1) में, “निर्यातकर्ता” शब्दों के स्थान पर, “मालों के निर्यातकर्ता” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 23 अक्टूबर, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में, “निर्यातकर्ता” शब्दों के स्थान पर, “निर्यात किए गए माल के संबंध में सुसंगत निर्यात बीजकों” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 23 अक्टूबर, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ग) उपनियम (3) में, “सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा” शब्दों के स्थान पर, “सीमाशुल्क या सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अभिहित सिस्टम, मालों के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 23 अक्टूबर, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(घ) उपनियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 23 अक्टूबर, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्:-

“(9) भारत के बाहर निर्यात की गई सेवाओं पर भुगतान एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में भरा जाएगा और नियम 89 के उपबंधों के अनुसार निपटान किया जाएगा”।

(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऐसी प्रदायों को प्राप्त नहीं करना चाहिए जिन पर आपूर्तिकर्ता ने हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 115/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 या हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 117/एसटी-2, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1321(अ) दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 23/10/2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1272(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 13/10/2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1299(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 13/10/2017 का लाभ उठाया है।”।

12. उक्त नियमों में, नियम 138 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम फरवरी, 2018 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“138, माल का संचलन और ई-वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो पचास हजार रूपए से अधिक के माल का पारेषण निम्नलिखित के लिए संचालन करवाता है,—

- (i) किसी प्रदाय के संबंध में; या
- (ii) प्रदाय से भिन्न किसी कारण हेतु; या
- (iii) किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक प्रदाय के कारण,

तो ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व, उक्त माल के संबंध में ऐसी अन्य सूचना, जो सामान्य पोर्टल पर मांगी जाए, सहित सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में यथा विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करेगा और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट संख्या सृजित की जाएगी;

परंतु जहां माल एक राज्य में अवस्थित स्वामी से अन्य राज्य में अवस्थित छुटपुट कर्मकार को भेजा जाता है, तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना स्वामी द्वारा सृजित किया जाएगा;

परन्तु यह और कि जहाँ हस्तशिल्प माल किसी व्यक्ति, जिसे धारा 24 के खंड (i) तथा (ii) के अधीन रजिस्ट्रकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त है, द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन किए जाते हैं, तो ई-वे बिल, पारेषण के मूल्य पर ध्यान दिए बिना स्वामी द्वारा सृजित किया जाएगा।

व्याख्या 1.— इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति “हस्तशिल्प माल” का वही अर्थ होगा जो इसे हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 83/एस.टी.-2, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 में दिया गया है।

व्याख्या 2.— इस नियम के प्रयोजन के लिए, माल का पारेषण मूल्य वह मूल्य होगा जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया गया है, बीजक, उक्त पारेषण के संबंध में जारी किए गए प्रदाय के बिल या परिदान चालान, जैसी भी स्थिति हो, में घोषित किया गया है और इसमें केन्द्रीय कर, राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र कर अथवा दस्तावेजों में प्रभारित उपकर, यदि कोई हो, भी शामिल है।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पारेषित के रूप में या पारेषिती के रूप में प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में चाहे स्वयं के परिवहन में या भाटक पर लिए गए या रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, माल का परिवहन किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति या प्राप्तिकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी -01 में ई-वे बिल का सृजन करेगा :

परंतु जहां रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा माल का परिवहन, किया जाता है, तो ई-वे बिल आपूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता होते हुए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सृजित किया जाएगा, जो सामान्य पोर्टल पर निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा —

- (क) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना; और
- (ख) रेलवे प्राप्ति या वायुयान पारेषण टिप्पण या लदान का बिल की क्रम संख्या और तिथि, जैसी भी स्थिति हो।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई-वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता, जैसे भी स्थिति हो, अपने विकल्प पर ई-बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकता है जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रूपए से कम है :

परंतु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से किया जाता है, तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बिल का सृजन कर सकता है :

परंतु यह और कि जहां माल का परिवहन राज्य में पारेषक के कारबार के स्थान से परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से आगे परिवहन के लिए दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता या परिवहनकर्ता जैसी भी स्थिति हो, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में वाहन के ब्यारे प्रस्तुत नहीं करेगा।

व्याख्या 1.— इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, जहाँ मालों की प्रदाय किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है, जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है।

व्याख्या 2.— ई वे बिल, सड़क द्वारा माल के संचालन के लिए विधिमान्य नहीं होगा जब तक प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग-ख में सूचना नहीं दी जाती है, सिवाय उस दशा में जब संचालन उपनियम (3) के तृतीय परंतुक और उपनियम (5) परंतुक के अंतर्गत आता है।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर आपूर्तिकर्ता, प्राप्तिकर्ता, परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईवीएन) उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) जब माल एक वाहन से दूसरे वाहन पर अंतरित किया जाता है तो पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता जिसने प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना प्रदान की है या परिवहनकर्ता, ऐसे अंतरण और माल संचालन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में वाहन ई-वे बिल के ब्यौरे अद्यतन करेगा :

परन्तु जहां मालों का परिवहन राज्य में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अन्तिम रूप से परिषिती के कारबार के स्थान से दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरे को ई-वे बिल में अद्यतन नहीं किया जाएगा।

(5क) पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जिसने प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी है, या परिवहनकर्ता पारेषण का आगे संचालन करने के लिए जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में सूचना अद्यतन करने के लिए अन्य रजिस्ट्रीकृत या नामांकित परिवहनकर्ता को ई-वे बिल संख्या समनुदेशित कर सकता है।

परन्तु एक बार परिवहनकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में अद्यतन कर दी जाती है, तो पारेषणकर्ता या प्राप्तिकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, जिसने प्ररूप ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी है, किसी अन्य परिवहनकर्ता को ई-वे बिल संख्या समनुदेशित करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार ई-वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन किया जाना आशयित है, तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से सृजित ई-वे बिल की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकता है और माल के संचालन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-2 में समेकित ई-वे बिल का सृजन किया जा सकता है।

(7) जहां परेषिक या परेषित ने उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 का सृजन नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल का मुल्य पचास हजार रुपये से अधिक है, तो परिवहनकर्ता, प्रदाय के बीजक या बिल या परिदान चालान, जैसी भी स्थिति हो, के आधार पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 का सृजन करेगा और माल के संचालन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02 में समेकित ई-वे बिल का भी सृजन कर सकता है।

परन्तु जहां माल, जिनका परिवहन किया जाना है की प्रदाय ई-वाणिज्य परिचालक के माध्यम से की जाती है, वहां ऐसे ई-वाणिज्य परिचालक द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी जा सकती है।

(8) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध करवाई जाएगी जो उसका उपयोग प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकता है :

परन्तु जहां सूचना गैर-रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ता या गैर-रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में प्रस्तुत की गयी है, तो उसे इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाइल नंबर या ई-मेल उपलब्ध है।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या ई-वे बिल में प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार परिवहन नहीं किया गया है, तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन के चौबिस घट्टे के भीतर रद्द किया जा सकता है:

परन्तु किसी ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार परिवहन में सत्यापन कर दिया गया है :

परन्तु यह और कि उपनियम (1)के अधीन सृजित विशिष्ट संख्या प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख के अद्यतन के लिए 72 घण्टे तक विधिमान्य होगी।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तिथि से नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में वर्णित अवधि के लिए उक्त सारणी के खाना (2) में यथा वर्णित, माल का परिवहन किए जाने वाले, देश के भीतर दूरी के लिए विधिमान्य होगा।

सारणी

क्रम संख्या	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	100 किलोमीटर तक	एक दिन
2.	प्रत्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	एक अतिरिक्त दिन :

परंतु आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, किसी ई-वे बिल की विधिमान्य की अवधि का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, के लिए विस्तार कर सकता है :

परंतु यह और कि आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन, जहाँ माल का परिवहन ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ख में अद्यतन करने के पश्चात् दूसरा ई-वे बिल सृजित कर सकता है ।

व्याख्या- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, सुसंगत तिथि वह अर्थ होगा जिस तिथि को ई-वे बिल का सृजन किया गया है और वैधता की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिस पर ई-वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना चौबीस घंटे के रूप में की जाएगी ।

(11) उप नियम (1) के अधीन सृजित ई-वे बिल के ब्यौरे समान्य पोर्टल पर निम्नलिखित को उपलब्ध करवाए जाएंगे,-

- (क) आपूर्तिकर्ता को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां प्राप्तिकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी गई है : या
- (ख) प्राप्तिकर्ता को, यदि वह रजिस्ट्रीकृत है, जहां आपूर्तिकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में सूचना दी गई है,

और आपूर्तिकर्ता या प्राप्तिकर्ता, यथास्थिति, ई-वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा ।

(12) व्यक्ति, जिसको उपनियम (11) निर्दिष्ट सूचना उपलब्ध करवाई गई है, समान्य पोर्टल पर उसे ब्यौरे उपलब्ध कराने के बहत्तर घण्टे के भीतर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है ।

(13) इस नियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के माल और सेवा कर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई-वे बिल राज्य में वैध होगा ।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए भी, किसी ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी -

- (क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरीकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है;
- (ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू-सीमा शुल्क केन्द्र से किसी इनलैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमा शुल्क द्वारा अनापत्ति के लिए किया जा रहा है : और
- (घ) ऐसे मालों के संचालन के संबंध में और राज्यों में ऐसे क्षेत्र के भीतर, जो प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त केन्द्रीय कर के परामर्श से राज्य कर आयुक्त अधिसूचित कर सकता है;
- (ङ) जहां डी-ऑयल्ल्ड केक से भिन्न परिवहन किए जाने वाले माल, समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एस.टी.2, दिनांक 30 जून, 2017 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;
- (च) जहाँ परिवहन किए जाने वाले माल, मानव उपभोग के लिए एल्कोहल लिक्वर, पेट्रोलियम अपरिस्कृत, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस या एविएशन टरबाइन ईंधन है; और
- (छ) जहाँ परिवहन किए जाने वाले माल को अधिनियम की अनुसूची III के अधीन किसी प्रदाय के रूप में नहीं माना जाता है।

व्याख्या- ई-वे बिल के सृजन और रद्द करने की सुविधा को एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकता है ।

उपाबंध

[देखिए नियम 138(14)]

क्रम संख्या	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	परिवार और गैर-घरेलू छूट वाले प्रवर्ग (एनडीइसी) ग्राहकों के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की प्रदाय
2.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन बेचा गया मिट्टी का तेल
3.	डाक विभाग द्वारा परिवहन किए गए डाक सामान
4.	असली या कल्चरी मोती और कीमती या कम मूल्य के रत्न :कीमती धातु और कीमती धातु की परत वाली धातु (अध्याय-71)
5.	आभूषण, स्वर्णकार और रजतकार सामग्री और अन्य वस्तुएं (अध्याय-71)
6.	करेंसी
7.	प्रयुक्त निजी और घरेलू सामान
8.	प्रवाल, अकर्मित(0508) और कर्मित प्रवाल (9601)।

13. उक्त नियमों में, नियम 138ख में, उप-नियम (3) में, परंतुक में "किसी अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "किसी अन्य अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम फरवरी, 2018 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

14. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआरएफडी-01 क में,—

(क) विवरणी 1क के पश्चात्, निम्नलिखित विवरणियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“विवरण-2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बीआरसी / एफआईआरसी		नाम नोट यदि कोई हो में अन्तर्वलित एकीकृत कर और उपकर,	प्रत्यय नोट यदि कोई हो में अन्तर्वलित एकीकृत कर और उपकर,	विशुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10-11)
	संख्या	तिथि	मूल्य	कराधेय मूल्य	राशि		संख्या	तिथि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

“विवरण-3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार : कर (संचित आईटीसी) भुगतान के बिना निर्यात

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	बीजक के ब्यौरे			माल / सेवा (जी / एस)	पेट परिवहन पत्र / निर्यात पत्र			ईजीएम के ब्यौरे		बीआरसी / एफआईआरसी	
	संख्या	तिथि	मूल्य		पत्तन कोड	संख्या	तिथि	संदर्भ संख्या	तिथि	संख्या	तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											“;”

(ख) विवरण 3क के बाद, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

“विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ङ)]

प्रतिदाय का प्रकार : (कर का भुगतान पर) विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे

(राशि रुपये में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआइएन	बीजक के ब्यौरे			विशेष आर्थिक जोन द्वारा पोत परिवहन पत्र / निर्यात पत्र पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नाम नोट यदि कोई हो में अन्तर्वलित एकीकृत कर और उपकर,	प्रत्यय नोट यदि कोई हो में अन्तर्वलित एकीकृत कर और उपकर,	विशुद्ध एकीकृत कर और उपकार (8+9+10-11)
	संख्या	तिथि	मूल्य	संख्या	तिथि	कराधेय मूल्य	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(15) उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 और प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित जाएंगे तथा प्रथम फरवरी 2018 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे:-

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01

(देखिये नियम 138)

ई-वे बिल

ई-वे बिल सं. :
 ई-वे बिल तिथि :
 सृजनकर्ता :
 से विधिमान्य :
 तक विधिमान्य :

भाग-क		
क.1	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	
क.2	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	
क.3	परिदान का स्थान	
क.4	दस्तावेज संख्यांक	
क.5	दस्तावेज की तिथि	
क.6	माल का मूल्य	
क.7	एचएसएन कोड	
क.8	परिवहन के कारण	
भाग-ख		
ख.1	सड़क के लिए यान संख्यांक	
ख.2	परिवहन दस्तावेज संख्यांक	

टिप्पणः

- क.7 में एचएसएन कोड पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये से ऊपर का वार्षिक आवर्त रखने वाले करदाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जाएगा।
- दस्तावेज संख्या कर बीजक, प्रदाय-पत्र, परिदान चालान या प्रवेश पत्र का हो सकेगा।
- परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या पोत परिवहन पत्र संख्या को उपदर्शित करता है।
- परिदान का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित करेगा।

5. परिवहन का कारण निम्नलिखित में से एक चुना जाएगा:—

कोड	विवरण
1.	प्रदाय
2.	निर्यात या आयात
3.	छुट-पुट कार्य
4.	एसकेडी या सीकेडी
5.	प्राप्तिकर्ता ज्ञात नहीं है
6.	लाइन सेल्स
7.	विक्रय वापसी
8.	प्रदर्शनी या मेले
9.	स्वयं के उपयोग के लिए
0.	अन्य

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी -02

(देखिये नियम 138)

समेकित ई-वे बिल

समेकित ई-वे बिल संख्याक :

समेकित ई-वे बिल की तिथि :

सृजनकर्ता :

यान संख्या :

ई-वे बिल संख्या	
ई-वे बिल संख्या	

आशिमा बराड़,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 2018

No. 30/ST-2-In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2018.
 - (2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter, called the said rules), in rule 3, in sub-rule (3A), for the words “ninety days”, the words “one hundred and eighty days” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 7, in the Table, -
- (a) in serial number 1, in column number (3), for the words “one per cent.”, the words “half per cent of the turnover in the State” shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from the 1st January, 2018;
 - (b) in serial number 2, in column number (3), for the words “two and a half per cent.”, the words “two and a half per cent of the turnover in the State” shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from 1st January, 2018;
 - (c) in serial number 3, in column number (3), for the words “half per cent”, the words “half per cent of the turnover of taxable supplies of goods in the State” shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from the 1st January, 2018.
4. In the said rules, in rule 20, the proviso shall be omitted.
5. In the said rules, in rule 24, in sub-rule (4), for the figures, letters and word “31st December, 2017”, the figures, letters and word “31st March, 2018” shall be substituted.
6. In the said rules, after rule 31, the following rule shall be inserted, namely:-

“31A. Value of supply in case of lottery, betting, gambling and horse racing.-(1) Notwithstanding anything contained in the provisions of this Chapter, the value in respect of supplies specified below shall be determined in the manner provided hereinafter.

- (2) (a) The value of supply of lottery run by State Governments shall be deemed to be 100/112 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher.
- (b) The value of supply of lottery authorised by State Governments shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expressions-

- (a) “lottery run by State Governments” means a lottery not allowed to be sold in any State other than the organizing State;
 - (b) “lottery authorised by State Governments” means a lottery which is authorised to be sold in State(s) other than the organising State also; and
 - (c) “Organising State” has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.
- (3) The value of supply of actionable claim in the form of chance to win in betting, gambling or horse racing in a race club shall be 100% of the face value of the bet or the amount paid into the totalisator.”.

7. In the said rules, in rule 43, after sub-rule (2), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

“Explanation.— For the purposes of rule 42 and this rule, it is hereby clarified that the aggregate value of exempt supplies shall exclude:-

- (a) the value of supply of services specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 42/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 27th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 1338(E) dated the 27th October, 2017;
- (b) the value of services by way of accepting deposits, extending loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, except in case of a banking company or a financial institution including a non-banking financial company, engaged in supplying services by way of accepting deposits, extending loans or advances; and
- (c) the value of supply of services by way of transportation of goods by a vessel from the customs station of clearance in India to a place outside India.”.

8. In the said rules, in rule 54, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) (a) A registered person, having the same PAN and State code as an Input Service Distributor, may issue an invoice or, as the case may be, a credit or debit note to transfer the credit of common input services to the Input Service Distributor, which shall contain the following details:-

- (i) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the registered person having the same PAN and same State code as the Input Service Distributor;
- (ii) a consecutive serial number not exceeding sixteen characters, in one or multiple series, containing alphabets or numerals or special characters -hyphen or dash and slash symbolised as “-” and “/” respectively, and any combination thereof, unique for a financial year;
- (iii) date of its issue;
- (iv) Goods and Services Tax Identification Number of supplier of common service and original invoice number whose credit is sought to be transferred to the Input Service Distributor;
- (v) name, address and Goods and Services Tax Identification Number of the Input Service Distributor;
- (vi) taxable value, rate and amount of the credit to be transferred; and
- (vii) signature or digital signature of the registered person or his authorised representative.

(b) The taxable value in the invoice issued under clause (a) shall be the same as the value of the common services.”.

9. In the said rules, after rule 55, the following rule shall be inserted, namely:-

“55A. Tax Invoice or bill of supply to accompany transport of goods.— The person-in-charge of the conveyance shall carry a copy of the tax invoice or the bill of supply issued in accordance with the provisions of rules 46, 46A or 49 in a case where such person is not required to carry an e-way bill under these rules.”.

10. In the said rules, in rule 89, for sub-rule (4A) and sub-rule (4B), the following sub-rules shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from 23rd October, 2017, namely:-

“(4A) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 115/ST-2, dated the 18th October, 2017, refund of input tax credit, availed in respect of other inputs or input services used in making zero-rated supply of goods or services or both, shall be granted.

(4B) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 117/ST-2, dated the 24th October, 2017, or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321(E) dated the 23rd October, 2017 or notification No. 78/2017-Customs dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E) dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1299(E) dated the 13th October, 2017, or all of them, refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit

availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.” .

11. In the said rules, in rule 96,-

- (a) in sub-rule (1), for the words “an exporter”, the words “an exporter of goods” shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from 23rd October, 2017;
- (b) in sub-rule (2), for the words “relevant export invoices”, the words “relevant export invoices in respect of export of goods” shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from 23rd October, 2017;
- (c) in sub-rule (3), for the words “the system designated by the Customs shall process the claim for refund”, the words “the system designated by the Customs or the proper officer of Customs, as the case may be, shall process the claim of refund in respect of export of goods” shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from 23rd October, 2017;
- (d) for sub-rule (9), the following sub-rules shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from 23rd October, 2017, namely:-

“(9) The application for refund of integrated tax paid on the services exported out of India shall be filed in **FORM GST RFD-01** and shall be dealt with in accordance with the provisions of rule 89”.

(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 115/ST-2, dated the 18th October, 2017, or the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 117/ST-2, dated the 24th October, 2017, or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1321 (E) dated the 23rd October, 2017 or notification No. 78/2017-Customs dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1272(E) dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 1299 (E) dated the 13th October, 2017.”.

12. In the said rules, for rule 138, the following rule shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from 1st February, 2018, namely:-

“**138. Information to be furnished prior to commencement of movement of goods and generation of e-way bill.**- (1) Every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding fifty thousand rupees—

- (i) in relation to a supply; or
- (ii) for reasons other than supply; or
- (iii) due to inward supply from an unregistered person,

shall, before commencement of such movement, furnish information relating to the said goods as specified in **Part A of FORM GST EWB-01**, electronically, on the common portal alongwith such other information as may be required at the common portal and a unique number shall be generated on the said portal:

Provided that where goods are sent by a principal located in one State to a job worker located in any other State, the e-way bill shall be generated by the principal irrespective of the value of the consignment:

Provided further that where handicraft goods are transported from one State to another by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under clauses (i) and (ii) of section 24, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment.

Explanation 1.— For the purposes of this rule, the expression “handicraft goods” has the meaning as assigned to it in the the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 83/ST-2, dated the 22nd September, 2017, as amended from time to time.

Explanation 2.— For the purposes of this rule, the consignment value of goods shall be the value, determined in accordance with the provisions of section 15, declared in an invoice, a bill of supply or a delivery challan, as the case may be, issued in respect of the said consignment and also includes the central tax, State or Union territory tax, integrated tax and cess charged, if any, in the document.

(2) Where the goods are transported by the registered person as a consignor or the recipient of supply as the consignee, whether in his own conveyance or a hired one or by railways or by air or by vessel, the said person or the

recipient may generate the e-way bill in **FORM GST EWB-01** electronically on the common portal after furnishing information in **Part B** of **FORM GST EWB-01**:

Provided that where the goods are transported by railways or by air or vessel, the e-way bill shall be generated by the registered person, being the supplier or the recipient, who shall furnish, on the common portal, the-

- (a) information in **Part B** of **FORM GST EWB-01**; and
- (b) the serial number and date of the Railway Receipt or the Air Consignment Note or Bill of Lading, as the case may be.

(3) Where the e-way bill is not generated under sub-rule (2) and the goods are handed over to a transporter for transportation by road, the registered person shall furnish the information relating to the transporter on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter on the said portal on the basis of the information furnished by the registered person in **Part A** of **FORM GST EWB-01**:

Provided that the registered person or, the transporter, as the case may be, at his option, generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than fifty thousand rupees:

Provided further that where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or a hired one or through a transporter, he or the transporter may, at their option, generate the e-way bill in **FORM GST EWB-01** on the common portal in the manner specified in this rule:

Provided also that where the goods are transported for a distance of less than ten kilometers within the State from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier or the recipient, or as the case maybe, the transporter may not furnish the details of conveyance in **Part B** of **FORM GST EWB-01**.

Explanation 1.— For the purposes of this sub-rule, where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement of goods.

Explanation 2.— The e-way bill shall not be valid for movement of goods by road unless the information in **Part-B** of **FORM GST EWB-01** has been furnished except in the case of movements covered under the third proviso to sub-rule (3) and the proviso to sub-rule (5).

(4) Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal.

(5) Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient, who has provided information in **Part- A** of the **FORM GST EWB-01**, or the transporter shall, before such transfer and further movement of goods, update the details of conveyance in the e-way bill on the common portal in **FORM GST EWB-01**:

Provided that where the goods are transported for a distance of less than ten kilometers within the State from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of conveyance may not be updated in the e-way bill.

(5A) The consignor or the recipient, who has furnished the information in **Part-A** of **FORM GST EWB-01**, or the transporter, may assign the e-way bill number to another registered or enrolled transporter for updating the information in **Part-B** of **FORM GST EWB-01** for further movement of consignment:

Provided that once the details of the conveyance have been updated by the transporter in **Part B** of **FORM GST EWB-01**, the consignor or recipient, as the case maybe, who has furnished the information in **Part-A** of **FORM GST EWB-01** shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter.

(6) After e-way bill has been generated in accordance with the provisions of sub-rule (1), where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and a consolidated e-way bill in **FORM GST EWB-02** maybe generated by him on the said common portal prior to the movement of goods.

(7) Where the consignor or the consignee has not generated **FORM GST EWB-01** in accordance with the provisions of sub-rule (1) and the value of goods carried in the conveyance is more than fifty thousand rupees, the transporter shall generate **FORM GST EWB-01** on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan, as the case maybe, and may also generate a consolidated e-way bill in **FORM GST EWB-02** on the common portal prior to the movement of goods:

Provided that where the goods to be transported are supplied through an e-commerce operator, the information in **Part A** of **FORM GST EWB-01** may be furnished by such e-commerce operator.

(8) The information furnished in **Part A** of **FORM GST EWB-01** shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing details in **FORM GSTR-1**:

Provided that when the information has been furnished by an unregistered supplier or an unregistered recipient in **FORM GST EWB-01**, he shall be informed electronically, if the mobile number or the e-mail is available.

(9) Where an e-way bill has been generated under this rule, but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal within 24 hours of generation of the e-way bill:

Provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provisions of rule 138B:

Provided further the unique number generated under sub-rule (1) shall be valid for 72 hours for updation of **Part B** of **FORM GST EWB-01**.

(10) An e-way bill or a consolidated e-way bill generated under this rule shall be valid for the period as mentioned in column (3) of the Table below from the relevant date, for the distance, within the country, the goods have to be transported, as mentioned in column (2) of the said Table:-

Table

Sl. No.	Distance	Validity period
(1)	(2)	(3)
1.	Upto 100 km.	One day
2.	For every 100 km. or part thereof thereafter	One additional day:

Provided that the Commissioner may, by notification, extend the validity period of e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein:

Provided further that where, under circumstances of an exceptional nature, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may generate another e-way bill after updating the details in **Part B** of **FORM GST EWB-01**.

Explanation.— For the purposes of this rule, the “relevant date” shall mean the date on which the e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated and each day shall be counted as twenty-four hours.

- (11) The details of e-way bill generated under sub-rule (1) shall be made available to the-
- supplier, if registered, where the information in **Part A** of **FORM GST EWB-01** has been furnished by the recipient or the transporter; or
 - recipient, if registered, where the information in **Part A** of **FORM GST EWB-01** has been furnished by the supplier or the transporter, on the common portal, and the supplier or the recipient, as the case maybe, shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill.

(12) Where the person to whom the information specified in sub-rule (11) has been made available does not communicate his acceptance or rejection within seventy two hours of the details being made available to him on the common portal, it shall be deemed that he has accepted the said details.

(13) The e-way bill generated under this rule or under rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules or rule 138 of Goods and Services Tax Rules of any State or Union Territory shall be valid in the State.

- (14) Notwithstanding anything contained in this rule, no e-way bill is required to be generated—
- where the goods being transported are specified in Annexure;
 - where the goods are being transported by a non-motorised conveyance;
 - where the goods are being transported from the port, airport, air cargo complex and land customs station to an inland container depot or a container freight station for clearance by Customs;

- (d) in respect of movement of such goods and within such areas in the States as the Commissioner of State Tax, in consultation with the Principal Chief Commissioner/Chief Commissioner of Central Tax, may notify;
- (e) where the goods, other than de-oiled cake, being transported are specified in the Schedule appended to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, as amended from time to time;
- (f) where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas or aviation turbine fuel; and
- (g) where the goods being transported are treated as no supply under Schedule III of the Act.

Explanation.— The facility of generation and cancellation of e-way bill may also be made available through SMS.

ANNEXURE*[(See rule 138 (14)]*

Serial Number	Description of Goods
(1)	(2)
1.	Liquefied petroleum gas for supply to household and non domestic exempted category (NDEC) customers
2.	Kerosene oil sold under PDS
3.	Postal baggage transported by Department of Posts
4.	Natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones; precious metals and metals clad with precious metal (Chapter 71)
5.	Jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares and other articles (Chapter 71)
6.	Currency
7.	Used personal and household effects
8.	Coral, unworked (0508) and worked coral (9601)";

13. In the said rules, in rule 138A, in sub-rule (5), for the words "Notwithstanding anything contained", the words "Notwithstanding anything contained in" shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from the 1st February, 2018.

14. In the said rules, in rule 138B, in sub-rule (3), in the proviso, for the words "carried out by any", the words "carried out by any other" shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from the 1st February, 2018.

15. In the said rules, in **FORM GST RFD-01A**,

(a) after Statement 1A, the following Statements shall be inserted, namely:-

“Statement- 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Integrated tax		Cess	BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10 - 11)
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement- 3 [rule 89(2)(b) and 89(2)(c)]

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export			EGM Details		BRC/ FIRC	
	No.	Date	Value		Port code	No.	Date	Ref No.	Date	No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											”;

(b) after Statement 3A, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10- 11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											”;

16. In the said rules, for **FORM GST EWB-01 and FORM GST EWB-02**, the following forms shall be substituted and shall be deemed to be substituted with effect from 1st February, 2018, namely:-

“FORM GST EWB-01*(See rule 138)***E-Way Bill****E-Way Bill No.** :**E-Way Bill date** :**Generator** :**Valid from** :**Valid until** :

PART-A		
A.1	GSTIN of Supplier	
A.2	GSTIN of Recipient	
A.3	Place of Delivery	
A.4	Document Number	
A.5	Document Date	
A.6	Value of Goods	
A.7	HSN Code	
A.8	Reason for Transportation	
PART-B		
B.1	Vehicle Number for Road	
B.2	Transport Document Number	

Notes.—

1. HSN Code in column A.7 shall be indicated at minimum two digit level for taxpayers having annual turnover upto five crore rupees in the preceding financial year and at four digit level for taxpayers having annual turnover above five crore rupees in the preceding financial year.
2. Document Number may be of Tax Invoice, Bill of Supply, Delivery Challan or Bill of Entry.
3. Transport Document number indicates Goods Receipt Number or Railway Receipt Number or Airway Bill Number or Bill of Lading Number.
4. Place of Delivery shall indicate the PIN Code of place of delivery.

5. Reason for Transportation shall be chosen from one of the following:-

Code	Description
1	Supply
2	Export or Import
3	Job Work
4	SKD or CKD
5	Recipient not known
6	Line Sales
7	Sales Return
8	Exhibition or fairs
9	For own use
0	Others

